राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पाली

क्रमांक: सूप्रौ / मृआटंप / 2017 / 1461 **दिनांक: 20.12.2019**

कार्यालयाध्यक्ष (समस्त),
जिला पाली।

विषय: मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्ति कार्मिकों द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में।
संदर्भ: कार्मिक(क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक - प.3(1)कार्मिक / क-2 / 2013 दिनांक 06.12.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित परिपत्र अनुसार कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 28.05.2018 के अतिक्रमण में दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, को निर्धारित समयावधि के पश्चात टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने हेतु एक बारीय दो अतिरिक्त अवसर कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रदान किए गए है। इन परीक्षाओं में इन कार्मिकों के लिए कम्प्यूटर पर टंकण गति, अंग्रेजी भाषा में 20 शब्द प्रति मिनिट एवं हिन्दी में 16 शब्द प्रति मिनिट मानकर परिणाम जारी किये जाएंगे।
टंकण परीक्षा (अतिरिक्त अवसर) आयोजित करने के लिए निम्न कलेण्डर निर्धारित किया है:

क्र.सं.	**अवसर**	**कार्यालय में परीक्षा आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि**	**आयोजित होने वाली परीक्षा का माह**
1	प्रथम अवसर	31 जनवरी 2020 तक	फरवरी 2020
2	द्वितीय अवसर	1 मई 2020 से 31 मई 2020 तक	जून 2020

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यलयों में पद स्थापित मृतक आश्रित कर्मचारी को संदर्भित परिपत्र के संबंध में अवगत करा`वे ताकि इन विशेष टंकण परीक्षाओं में मृतक आश्रित कर्मचारी **(दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त)** सम्मिलित हो सके।

टंकण परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क 500/- रू. का डिमांड ड्राफ्ट "अध्यक्ष, टंकण परीक्षा आयोजन समिति एवं अति. जिला कलक्टर, पाली ' ' के नाम से कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर(उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जनसुनवाई केन्द्र, कलेक्ट्रेट परिसर, पाली में जमा कराना होगा।
टंकण परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी समय-समय पर जिला स्तर से संचालित वेबसाईट http://pali.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दी जावेगी।

नोट: दिनांक 31.12.2016 एवं इसके पश्चात् नियुक्त सभी कर्मचारियों की टंकण परीक्षा के संबंध में वर्तमान में अपनाई जा रही कार्यवाही ही प्रचलन में रहेगी।

अध्यक्ष
टंकण परीक्षा आयोजन समिति
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

क्रमांक: सूप्रौ / मृआटंप / 2017 / 1461 **दिनांक: 20.12.2019**
प्रतिलिपि:-
1. श्रीमान् जिला कलक्टर, पाली।
2. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर(उप निदेशक), सू.प्रौ. और सं.वि., पाली।
3. उपखण्ड अधिकारी, पाली।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प. 3(1)कार्मिक/क–2/2013 जयपुर, दिनांक : 6.12.2019

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषय–मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत दिनांक31.12.2016 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में।

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा लम्बे समय से नियमानुसार टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने के कारण इन कार्मिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल इन कार्मिकों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के लिए टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देने की मांग की जाती रही है। प्रकरण में परीक्षणोपरान्त इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नियमों में टंकण गति परीक्षा का प्रावधान समाप्त किया जाना उचित एवं नियमानुकूल नहीं है अपितु अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कुछ कार्मिकों के लम्बे समय से टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने के कारण मूल वेतन/नियत वेतन पर काम करने की स्थिति के मध्यनजर दो विशेष टंकण परीक्षाएं आयोजित करवाते हुए ऐसे कार्मिकों को दो अतिरिक्त अवसर देते हुए वर्तमान में निर्धारित टंकण गति अंग्रेजी भाषा में 28 शब्द प्रति मिनिट एवं हिन्दी भाषा में 24 शब्द प्रति मिनिट में एक बारीय शिथिलता देकर अंग्रेजी भाषा में गति 20 शब्द प्रति मिनिट एवं हिन्दी में 16 शब्द प्रति मिनिट किया जाना उचित है ताकि ऐसे सभी कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इन्हें समस्त वित्तीय परिलाभ दिया जा सके।

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत ली जाने वाली टंकण परीक्षा (अंग्रेजी/हिन्दी), कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2017 के द्वारा भाषा विभाग के स्थान पर जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा गठित आयोजन समिति द्वारा ली जा रही है तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.5.2018 के तहत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने निर्धारित समयावधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, को समयावधि पश्चात टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु दो अवसर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से दिये जाने हेतु प्रावधान है।

कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 28.5.2018 के अतिक्रमण में दिनांक 31.12. 2016 से पूर्व नियुक्त ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा

उत्तीर्ण नहीं की गई है, को निर्धारित समयावधि के पश्चात टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने हेतु दो अतिरिक्त अवसर कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रदान करते हुए समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया जाता है कि इन कर्मचारियों के लिए जिला स्तर पर 30 जून 2020 तक दो विशेष टंकण परीक्षाऐं आयोजित करावें तथा इन परीक्षाओं में इन कार्मिकों के लिए कम्प्यूटर पर टंकण गति, अंग्रेजी भाषा में 20 शब्द प्रति मिनिट एवं हिन्दी में 16 शब्द प्रति मिनिट मानकर परिणाम जारी किया जावे । दिनांक 31.12.2016 एवं इसके पश्चात नियुक्त सभी कर्मचारियों की टंकण परीक्षा के संबंध में वर्तमान में अपनाई जा रही कार्यवाही ही प्रचलन में रहेगी।

समस्त विभागाध्यक्ष एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.12.2016 से पूर्व आपके विभागों में नियुक्त ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, को उक्त दिये जा रहे दो अवसरों के संबंध में स्वयं के स्तर से अवगत करावें, ताकि उनके द्वारा उक्त अवसरों का लाभ उठाया जा सके और टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की जा सके। समस्त जिला कलक्टर्स को भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त विशेष परीक्षाओं का आयोजन किये जाने से पूर्व समस्त विभागों को इस संबंध में अवगत कराया जावे, ताकि इन विशेष टंकण परीक्षाओं में सभी वंचित कर्मचारी सम्मिलित हो सकें।

अतः समस्त जिला कलक्टर्स, विभागाध्यक्षों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर।

उप शासन सचिव

48/2019